

आदेश पत्रक

आदेश पत्रक

वाद सं०-.....०४...../२०१९.....

धारा-107 द०प्र०सं०

अजय कुमार सिन्हा,

बनाम बन्धुराम सुब्बा वेंगैर

14-02-19

आदेश की क्रम सं० एवं
तारीख

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्रवाई
एवं टिप्पणी तारीख सहित


अभिलेख सं०-एम.....०४...../२०१९, में द०प्र०सं० की धारा-107 के तहत थाना प्रभारी दशरथ प्रसाद के अप्राथमिकी सं०-.....०१/१९..... दिनांक-०४-०२-१९ के द्वारा प्राप्त पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि अजय पाल जाउंडेयन रोसधन को सरकार द्वारा भूमि आवेदन के कारण उभय पक्ष में विवाद है


जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।

अतः मैं बबली कुमारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रू० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।

अभिलेख तिथि२५/०२/१९..... को उपस्थापित करें।

लेखापित एवं संशोधित।


कार्यपालक दण्डाधिकारी,
बुण्डू (राँची)।


कार्यपालक दण्डाधिकारी,
बुण्डू (राँची)।

आदेश की क्रम सं० एवं
तारीख

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

तारीख


16-12-19

अभिलेख उपर्याप्त। प्रथम पत्र
अनुप्राप्त। द्वितीय पत्र उपर्याप्त।
दिनांक 10-01-20 को रखे।

10 ⁰¹/₂₀₂₀

अभिलेख उपर्याप्त। प्रथम पत्र
अनुप्राप्त। द्वितीय पत्र उपर्याप्त।
उक्त वाद में 6 (छः) माह की अवधि
पूर्ण हो चुकी है अर्थात् वाद कालबाधित
हो गया है। अतः वाद में अभिलेख
की कालवधि बन्द की जाती है।


16/1/2020
कार्यपालक दण्डाधिकारी
अड्ड (रांची)


10/1/2020
कार्यपालक दण्डाधिकारी
अड्ड (रांची)